

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/श्रावण 3, 1901
No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SRAVANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 49-ई टी सी (पी एन)/79

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

विषय.—बाबल का निर्वाह

क्रि० सं० 40/27/79-ई-2:—उपर्युक्त विषय पर भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित
संशोधन आदेश सं० ई (सी) प्रो, 1977/एएम (125) दिनांक 25 जुलाई, 1979 की ओर ध्यान
दिमाया जाता है।

2. यह विषय किया गया है कि जीरा गसम्बा और बाबल की अन्य उत्तम किस्में उदाहर-
णार्थ धार० पी० 44, तेला हुमबा मसूरी (उत्तम) बंगारबीगाल् बी०टी० पंक्तप्रम,सुरेखा
रत्ना, पूरा 33, रत्ना, मसूरी (उत्तम) त्रिलो, सजी, जफरी-7, दुबराज, काजी मूच पी० धार०

106 परमल, काला नमक का निर्यात, कुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत नीचे संकेतित अनुसार न्यूनतम जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत के अर्धीय अनुमित किया जाए—

1. पालिश किया हुआ चावल	5,500 रुपये प्रति टन जहाज पर्यन्त निःशुल्क
असी उत्तारा हुआ बगैर पालिश किया हुआ चावल	5,000 रुपये प्रति टन जहाज पर्यन्त निःशुल्क
पैडी चावल	4,000 रुपये प्रति टन जहाज पर्यन्त निःशुल्क

3. तबनुसार नीति विवरण के पृष्ठ 12 पर क्रम सं० 20 के सामने कालम 3 में विद्यमान वॉच सं० 2 की निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“2. बासमती चावल, जीरा गसम्बा और चावल की अन्य उत्तम किस्में उदाहरणार्थ, धार०पी० 4-4 तेली हमसा मशूरी (उत्तम) बंगारुथेगलू, की०टी० थोकसन्नम, सुरेखा रत्ना, पूरा 33, मशूरी (उत्तम) झिल्ली, खंजी, सफरी-17 दुबराज, काली मूच, पी० धार०-106 परमल, काला नमक की निम्नलिखित किस्में कुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अनुमित हैं :—

1. पालिश किया हुआ चावल।
2. भूसी रहित बगैर पालिश किया हुआ चावल।
3. पैडी चावल।”

सी० बेंकटरमन, मुख्य निबंधक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION
(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 49-ETC(PN)/79

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 25th July, 1979

Subject.—Export of Rice.

File No. 40/27/79-E-II.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(125), dated the 25th July, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary, on the above subject.

2. It has been decided to allow the export of Jeeragasmba and other fine varieties of rice e.g. R.P. 4-4, Tella Hamasa Mashuro (Fine) Bangaruthcgalu, B.T. Thokasannam, Surekha Ratna, Pura 33, Mashuri (Fine) Zhilli, Lanju, Safri-17, Dubraj, Kali Mooch, PR-106 Parmel, Kalanamak, under OGL-3, subject to the minimum of f.o.b. price as indicated below :—

1. Polished rice	Rs. 5,500 per tonne f.o.b.
2. Dehusked unpolished rice	Rs. 5,000 per tonne f.o.b.
3. Paddy rice	Rs. 4,000 per tonne f.o.b.

3. Accordingly the existing entry No. 2 in col. 3 against S. No. 20 on page 12 of Policy Statement shall be substituted as follows :—

“2. Export of Basmati Rice, Jeeragasmaba and other fine varieties of rice e.g. R.P.4-4, Tella Hamsa Mashuro (Fine) Bangarutheegalu, B. T. Thokasannam, Surekha Ratna, Pura 33, Mashuri (Fine) Zhilli, Lanji, Safri-17, Dubraj, Kali Mooch, PR-106 Parmel, Kalanamak of following varieties is allowed as provided under OGL-3 :—

1. Polished rice
2. Dehusked unpolished rice
3. Paddy rice.”

C. VENKATARAMAN,
Chief Controller of Imports & Exports

